

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(28)नविवि / EoDB / 2015

जयपुर, दिनांक :- 27 JAN 2021

आदेश

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व कार्यालयों में पंजीयन व मुद्रांक से कार्यालयों से राजस्व भूमि के रजिस्ट्रेशन (क्रय-विक्रय) की सूचना ऑनलाईन प्राप्त होते ही ऐसे प्रकरणों बाबत नामान्तरण की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ करे। ऐसे प्रकरणों हेतु नामान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवेदक से नामान्तरण बाबत पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

S/D.

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली।

S/D.

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय